72

मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त–सितम्बर, 1994 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 24 अगस्त, 1994 (भाद्र 2, 1916)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्री जालम सिंह पटेल, डॉ. सियाराम साहू, सदस्य राजनांदगांव जिले के गंडई वन परिक्षेत्र में सागौन वृक्षों की हो रही अवैध कटाई की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री थावरचन्द गेहलोत, रामेश्वर अखण्ड, सदस्य उज्जैन जिले के नागदा स्थित ग्रेसिम मिल में कार्यरत अनेक श्रमिकों को सेवा से हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री रामकिशोर शुक्ल, सभापति, विशेषाधिकार समिति का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

4. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्रीमती जमुनादेवी, समाज कल्याण मंत्री, मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता (संशोधन) विधेयक, 1994 (क्रमांक 26 सन् 1994) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगी तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगी.

5. विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदनों पर विचार एवं स्वीकृति

श्री रामकिशोर शुक्ल, सभापति, विशेषाधिकार समिति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

" यह सदन आज दिनांक 24 अगस्त 1994 को प्रस्तुत विशेषाधिकार समिति के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदनों पर विचार कर इन्हें स्वीकार करे ".

6. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

(1) प्रदेश में अतिवृष्टि से जन-धन की हानि के संबंध में चर्चा (क्रमशः).

निर्धारित समय 1 घन्टा 30 मि.

(2) प्रदेश में हैजा, आंत्रशोथ एवं मस्तिष्क ज्वर से हो रही जनहानि के संबंध में सर्वश्री रविन्द्र चौबे, बच्चन नायक, रामेश्वर अखण्ड, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री रामलखन शर्मा, ठा. मोहर सिंह, श्री कैलाश विजयवर्गीय, श्री गोविन्द मिश्र, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा तथा श्री नेमीचन्द जैन, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

भोपाल :
दिनांक : 23 अगस्त, 1994

शीला खन्ना
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा